

दंगक: 207-211 राजस्व/05

दिनांक- 19-5-2005

संपरिवर्तन आदेश

सचिव, भारतीय बालिका शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, सीकर के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति से धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि भूमि प्रयोजन के लिए राजस्थान भू-राजस्व संपरिवर्तन (नियम, 1992) के नियम 8(2)(8)(3) के अधीन अकृषि प्रयोजनों के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं-

1. आवेदक खातेदारी अभिधृति का नाम - भारतीय बालिका शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, सीकर पिता/पति के नाम सहित पूरा पता:- सचिव, मूलचन्द रणवा पुत्र श्री रामेश्वर लाल जाति जाट निवासी भुवाला जिला सीकर
2. क्या आवेदक अबू. जाति या अबू. जनजाति - नहीं का सदस्य है :-
3. संपरिवर्तित भूमि का व्योय :-
(क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम - सालमसिंह की द्वाणी ग्राम पंचायत चब्दपुरा तहसील व जिला सीकर,
(ख) भूमि का खसरा सं. और प्रत्येक खसरा ख नं 303/164 रकमा 1.11 हेक्टेयर संख्या का क्षेत्रफल (हैवटर में)
(ग) प्रत्येक खसरा सं. और प्रत्येक खसरा सं. - ख नं 303/164 रकमा 1.11 हेक्टेयर का क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए में से 4000 वर्ग मीटर भूमि संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैवटर या व.मी. में)
टिप्पणी :- अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए या नक्शे के सुरक्षित भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है। प्रति संलग्न है। वाणिज्यिक प्रयोजनाएँ.
4. संपरिवर्तन का प्रयोजन :-
5. संदेय प्रीमियम की दर :- 1. 200X 4= 800/-
2. 1800X 8= 14400/-
3. 2000X 16= 32000/-

47200/-
6. चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम - चालान संख्या 1 दिनांक 18/5/2005 Rs 23600
चालान संख्या 2 दिनांक 18/5/2005 Rs 23600

कुल Rs 47200

7. चालान की सं. तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो. की जमा कराई गई रकम

(2)

8. चालान की सं. तथा तारीख सहित ब्याज
यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम

9. क्या आदेश नियमितीकरण के नियम 12 के
अधीन जारी किया गया है :

10. अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो :-

11. उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा-

(1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की
पूर्ण अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) यदि आवेदन इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर
संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा
प्रत्याहृत कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन सम्पूर्त
हो जायेगा।

(3) नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया
जायेगा।

ब्लॉकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि किसी भाग को अन्य किसी अकृषिक
प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना
नहीं किया जायेगा।

विधि प्राधिकारी के हस्ताक्षर

क्रमांक:- 207-21

दिनांक:- 19.5.2025

प्रतिलिपि:-

- (1) श्रीमान् जिला कलकट्ट महोदय, सीकर (राज.)
(2) तहसील राजरव लेखाकार तहसील, सीकर (राज.)
(3) सम्बन्धित ग्राम पंचायत/पट्ट्यारी हल्का
(4) सम्बन्धित श्री लालिक लालिक लालिक लालिक

11/5

विधि प्राधिकारी के हस्ताक्षर